



प्रेषक,
शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6**लखनऊ: दिनांक 25 अगस्त, 2026**

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत (ग्रामीण) के कतिपय जनपदों के कुल 21 लघु सेतुओं के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग), उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के कॉलम-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 में कतिपय जनपदों के कुल 21 लघु सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु कुल ₹ 3639.96 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ उन्तालिस लाख छियान्वे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये अनुदान सं०-57 से ₹ 573.58 लाख एवं अनुदान सं०-83 से ₹ 154.41 लाख अर्थात् कुल धनराशि ₹ 727.99 लाख (रूपये सात करोड़ सत्ताइस लाख निन्यान्वे हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 में निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ 0 में)

क्र० सं०	मुख्य अभियन्ता सेतु विंग का पत्रांक	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख ₹ 0 में)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटन			कार्यदायी संस्था
					अनुदान सं०-57	अनुदान सं०-83	कुल योग (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	I/713493/2026 dt 01.08.26	आगरा	जनपद आगरा में गढ़ी विचित्रा से नगला ताल मार्ग पर बॉक्स कल्वर्ट एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य	231.30	36.45	9.81	46.26	लो०नि०वि०
2	I/718556/2026 dt 04.08.26	फिरोजाबाद	जनपद फिरोजाबाद में ब्लॉक नारखी छिकाऊ से गढ़ी मदारी मार्ग पर लघु सेतु का निर्माण कार्य	124.90	19.68	5.30	24.98	लो०नि०वि०
3	I/712712/26 Dt. 31.07.26	अलीगढ़	जनपद अलीगढ़ में सभापुर मार्ग से दरकन नगरिया मार्ग के कि०मी०-1 में क्षतिग्रस्त/संकरी आर्च कल्वर्ट के स्थान पर 3 x 3 मी०, 3 स्पान आर०सी०सी० बॉक्स कल्वर्ट का पुनः निर्माण का कार्य।	68.03	10.72	2.89	13.61	लो०नि०वि०
4	I/737655/2026 dt 17.08.26	सुल्तानपुर	जनपद सुल्तानपुर में छपर में गौशाला के पास नाले पर 5X5X5 मी० स्पान आर०सी०सी० बॉक्स कल्वर्ट का लघु सेतु, पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य	151.06	23.80	6.41	30.21	लो०नि०वि०
5	I/737626/2026 Dt. 17.08.26	मऊ	जनपद मऊ में ग्रामसभा दुबारी में मोलनापुर बंधा पिच रोड से बैरिकण्ठा सम्पर्क मार्ग के कि०मी०-1 में 4 सेल 2x2 मी० बॉक्स कल्वर्ट, गोबरही नाला पर 5 सेल 4x4 मी० बॉक्स कल्वर्ट एवं कि०मी०-2 में 3 सेल 2x2 मी० बॉक्स कल्वर्ट का कार्य	213.68	33.67	9.07	42.74	लो०नि०वि०

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6	I/714186/26 Dt. 03.08.26	हमीरपुर	मौदहा छिमौली मार्ग के किमी0- 01 में स्थित बडेरी नाला पर 4x6x5 मी0x5.00 मी0 बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य।	217.85	34.33	9.24	43.57	लो0नि0वि0
7	I/714152/2026 dt 03.08.26	हमीरपुर	उरदना-गुरदहा करहिया मार्ग के किमी0-2 में रपटे के स्थान पर लघु सेतु पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य (6.00x5.00 मी0 के चार स्पान)	227.02	35.77	9.63	45.40	लो0नि0वि0
8	I/714067/2026 Dt. 03.08.26	बदायूं	जनपद बदायूं में कछला सहसवान मार्ग से जिनौरा मार्ग के किमी0-2 में रपटा पुल के स्थान पर 5x6 मी0 स्पान के लघु सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	327.88	51.67	13.91	65.58	लो0नि0वि0
9	I/715730/2026 Dt. 03.08.26	बदायूं	जनपद बदायूं में कछला हुसैनपुर मार्ग से तिलिया नगला मार्ग पर 3x3 मी0 स्पान के लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	124.63	19.64	5.29	24.93	लो0नि0वि0
10	I/715696/2026 Dt . 03.08.26	पीलीभीत	जनपद पीलीभीत में पंडरी से चौड़ाखेड़ा के किमी0-2 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 2 गुणे 3 मी0 की आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य की मरम्मत का कार्य	53.15	8.38	2.25	10.63	लो0नि0वि0
11	I/715711/2026 Dt. 03.08.26	पीलीभीत	जनपद पीलीभीत में चठिया से भैसहा पनगहली नाला पर 5x5 मी0 स्पान का आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	312.87	49.30	13.27	62.57	लो0नि0वि0
12	I/715475/2026 Dt. 03.08.26	शाहजहाँपुर	जनपद शाहजहाँपुर में विकासखण्ड ददरौल के ग्राम बरूआ बंजर से बरूआ खुर्द ग्राम के बीच 3 सेल 6x3 मी0 बाक्स कल्वर्ट, सुरक्षात्मक कार्य, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	290.26	45.74	12.31	58.05	लो0नि0वि0
13	I/715469/2026 Dt. 03.08.26	शाहजहाँपुर	जनपद शाहजहाँपुर में विकास खण्ड ददरौल के ग्राम गंधार, हिसमाह राजकीय डिग्री कॉलेज के मध्य 2 सेल 6x3 मी0 बाक्स कल्वर्ट, सुरक्षात्मक कार्य, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	262.43	41.36	11.13	52.49	लो0नि0वि0
14	I/712727/26 Dt.31.07.26	शाहजहाँपुर	जनपद शाहजहाँपुर में मुडिया मार्ग के कि.मी.- 4 से पचपेड़ा पिपरियादास के किमी-1 में 1x6 मीटर लघु सेतु का निर्माण कार्य।	77.82	12.26	3.30	15.56	लो0नि0वि0
15	I/719584/2026 dt. 05.08.26	फर्रूखाबाद	राजेपुर कड़हर मार्ग से सिया सम्पर्क मार्ग पर लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के नवनिर्माण का कार्य	124.44	19.61	5.28	24.89	लो0नि0वि0
16	I/714242/2026 dt 03.08.26	फर्रूखाबाद	सवासी नगला दुर्ग सुन्दरपुर सम्पर्क मार्ग पर लघु सेतु पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के नवनिर्माण का कार्य	126.98	20.01	5.39	25.40	लो0नि0वि0
17	I/714166/26 Dt. 03.08.26	फर्रूखाबाद	चंपतपुर से अचानकपुर मार्ग के किमी02 मे 2x2 मी0के 3 स्पान की पुलिया का निर्माण कार्य	48.22	7.60	2.04	9.64	लो0नि0वि0
18	I/714207/26 Dt. 03.08.26	फर्रूखाबाद	शेखपुर भोजपुर मार्ग पर नाला बघार पर काजवे के स्थान पर लघु सेतु पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के नवनिर्माण कार्य।	113.84	17.94	4.83	22.77	लो0नि0वि0
19	I/714293/2026 Dt. 03.08.26	फर्रूखाबाद	कटरी धर्मपुर मार्ग से विलावलपुर सम्पर्क मार्ग पर लघु सेतु पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के नवनिर्माण कार्य	125.46	19.77	5.32	25.09	लो0नि0वि0
20	I/714244/26 Dt. 03.08.26	फर्रूखाबाद	चिलसरा मार्ग से कुबेरपुर घाट सम्पर्क मार्ग पर 2x5 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया का नवनिर्माण का कार्य।	75.92	11.96	3.22	15.18	लो0नि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

21	I/718776/2026 dt. 05.08.26	कन्नौज	जनपद कन्नौज में सौरिख इन्दरगढ़ मकनपुर अरौल (राज्य मार्ग सं0-164) के किमी0-16 में तीव्र मोड़ पर स्थित क्षतिग्रस्त पुरानी अर्जुनपुर पुलिया के स्थान पर 5x4.00x4.00 मी0 स्थान आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य	342.22	53.92	14.52	68.44	लो0नि0वि0
कुल योग				3639.96	573.58	154.41	727.99	

नियम शर्तें/प्रतिबन्धों

- 1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- 2- प्रायोजनान्तर्गत विभाग द्वारा सर्वप्रथम भूमि अधिग्रहण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण किया जाये तदोपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
- 3- प्रयोजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 4- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- 5- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।
- 6- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- 7- मूल्य हास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
- 8- व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- 9- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
- 10- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

11- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कन्टीजेन्सी मद में प्रावधानित धनराशि का व्यय सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरान्त वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जायेगा।

12- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

13- प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, ग्रेट, बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

14- लोक निर्माण विभाग द्वारा यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य मद के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के विभाग के मुख्य अभियन्ता स्तर से अनुमोदित एवं परीक्षित भी हो। उक्त के आधार पर ही यूटिलिटी शिफ्टिंग से सम्बन्धित कार्य मदों में धनराशि अनुमन्य की जायेगी।

15- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

16- यह सुनिश्चित किया जाय कि परियोजना में प्रस्तावित कार्य विभागीय नियमों/मानक के अन्तर्गत है।

17- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित मार्ग की लेपित चौड़ाई एवं फारमेशन चौड़ाई इत्यादि पक्के स्ट्रक्चर्स यथा पुल, पुलिया, ड्रेन इत्यादित का निर्माण आई0आर0सी0/विभागीय मानकों (Standards) के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

18- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित पुल/पुलियों का इक्सटेंशन-तथा-नाला-नाली आदि का निर्माण का निर्माण का प्राविधान किया गया है। भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण की सम्भावना के दृष्टिगत मार्ग के संरिखण में आने वाले पक्के स्ट्रक्चर (पुल/पुलिया/नाली इत्यादि) का निर्माण आई0आर0सी0/विभागीय मानकों में पूर्व निर्धारित फारमेशन विड्थ (चौड़ाई) के अनुसार ही कराया जाय।

19- परियोजना को निश्चित समयान्तर्गत पूर्ण कर लिया जाये तथा टाइम ओवर रन एवं क्रास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना का पुनरीक्षण भविष्य में नहीं किया जायेगा।

20- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

21- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये लागत का आंकलन किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

22- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

23- परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

24- परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

25- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

26- परियोजना की लागत व समय सीमा में बढ़ोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

27- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

28- लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

29- सेन्टेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

30- उपरिलिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (सेतु) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 5,73,58,000 (रुपये पाँच करोड़ तिहत्तर लाख अठ्ठावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010403 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,54,41,000 (रुपये एक करोड़ चौवन लाख इकतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047892000 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शेषनाथ)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- मण्डलायुक्त सम्बन्धित मण्डल/ जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
- 3- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सम्बन्धित क्षेत्र।
- 4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 5- प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7- संबंधित कोषाधिकारी।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
- 9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8।
- 10- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2।
- 11- बजट आवंटन अधिकारी/नोडल अधिकारी, लो०नि०वि०, उ०प्र० शासन।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।